हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/12 (?)	वकील वादी उप० । अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद रजि० डाक तामील कोई उप० नहीं आया उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 6/12/22 को पेश हो। SDO	
6/12/22	वकील वादी ....उपस्थित । सम्बंधित आदेश दिनांक.............17/10/22 की पालना में पत्रा. भी वास्ते.........बहस T.I दिनांक.........14/2/23.........को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
14/2/23	वकील वादी ....उपस्थित । सम्बंधित आदेश दिनांक.............17/10/22 की पालना में पत्रा. भी वास्ते.........बहस T.I दिनांक.........28/2/23.........को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28/2/23	पत्रावली पेश हुई । आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब 3-22 मार्च में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो।	
28/3/23 2	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा RTA-40 बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थना-पत्र धारा RTA को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा RTA साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ता० किया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र धारा RTA में मूल रजिस्टर होकर नंबर से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/29/2020

वउनवान

1. राजवीर पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी हुल्याना
2. लक्ष्मण पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी हुल्याना
3. प्रेमसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी हुल्याना
4. बदनसिंह उर्फ सूपरिया पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी हुल्याना तहसील कठूमर जिला अलवर।

------सायलान

बनाम

1. रघवीर पुत्र छोटे जाति जाट निवासी कठूमर
2. लालाराम पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी कठूमर
3. जग्गो पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी कठूमर
4. कमलेश पुत्र रघवीर जाति जाट निवासी कठूमर
5. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–श्री सुभाषचन्द "अर्रूवा"– अधिवक्ता सायलान की ओर से

आदेश

दिनांक 28.03.2023

सायलानद्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 636 रकवा 0.37 हे. 639 रकवा 0.49 हे. 662 रकवा 0.06 हे. 665 रकवा 0.06 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायलान, गैरसायलान एंव अन्य प्रतिवादीगण की भामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायलान, गैरसायलान एंव प्रतिवादीगण के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान, गैरसायलान एंव प्रतिवादीगण के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। जवकि सायलान विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है तथा अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बनाना चाहते है।गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी को राजी खुशी नहीं बांटेगें और विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलव कियागया।

गैरसायलान का तामीली नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया लेकिन गैरसायलान वावजूद तामील उपस्थित नही आये इनके विरूद्व दिनांक 17.10.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वहस सुनी गई पत्रावली के तथ्यों व संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये सायलान को निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन

उपखण्ड अधिकारी
कानसर (अजमेर) राज०

3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने के लिये अपने प्रार्थना पत्र के साथ हाल जमाबन्दी वाके ग्राम कतूगर की छाया प्रति पेश की है। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान, गैरसायलान एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है तथा अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलानके शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलानको अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलानद्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्तासायलान की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। कानूनन सहखातेदारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा डालने का अधिकार नहीं है तथा विना तकासमा कराये रहन वय करने का भी अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये रहन वय कर दिया तो अपार हानि व असुविधा सायलान को होना संभव है। गैरसायलान वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः सायलान अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में सफल रह है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान

अधिकारी

को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 636 रकवा 0.37 हे. 639 रकवा 0.49 हे. 662 रकवा 0.06 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर वावत मूल वाद के निस्तारण तक मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 04.06.2020 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.03.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)